



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 556-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2012-3 काविनी एवं वे०प्र०/10(टी०सी०) दिनांक/3 अगस्त, 2012

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-I एवं II),

समस्त अधीक्षण अभियन्ता,

समस्त उप महाप्रबन्धक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

विषय :- दिनांक 01.01.1996 अथवा 19 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने की तिथि (जो भी बाद में हो) से उच्चकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमान में वेतन निर्धारण में विकल्प की सुविधा के सम्बन्ध में।

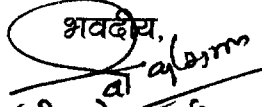
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 981-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/10-4 काविनी/94 दिनांक 14.08.2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। इस आदेश के प्रस्तर-02 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत उच्चकृत रूप से अनुमन्य कराये गये तृतीय समयबद्ध वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिकों को दिनांक 01.01.1996 अथवा तदुपरान्त तृतीय समयबद्ध वेतनमान अनुमन्यता की वास्तविक तिथि, जो भी बाद में हो (किन्तु दिनांक 19.02.2009 से पूर्व) से मात्र प्रकल्पित वेतन निर्धारण किये जाने एवं इसके फलस्वरूप दिनांक 19 जुलाई, 2010 तक किसी प्रकार के अवशेष की अनुमन्यता न होने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस सन्दर्भ में विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों से यह स्पष्ट किये जाने हेतु प्रकरण सन्दर्भित किये गये हैं कि जिन कार्मिकों द्वारा दिनांक 01.01.1996 से लागू वेतन पुनरीक्षण तत्समय उपलब्ध करायी गई विकल्प की सुविधा के अंतर्गत, जिन तिथियों से चुने जाने के विकल्प प्रस्तुत किये गये थे, अब उक्त प्रस्तर-1 के अनुसार बदली हुई परिस्थितियों में, पूर्व प्रस्तुत विकल्प को संशोधित/परिवर्तित करने की सुविधा होगी अथवा नहीं ?

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि जिन कार्मिकों द्वारा दिनांक 01.01.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान जिन तिथियों से चुनने के विकल्प पूर्व में प्रस्तुत किये गये थे, उनमें किसी प्रकार के संशोधन/पूर्व प्रस्तुत विकल्प को परिवर्तित किये जाने की सुविधा अनुमन्य नहीं है। जहाँ तक वरिष्ठ एवं कनिष्ठ के मध्य वेतन समानता प्रदान किये जाने का सम्बन्ध है, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा यदि भिन्न-भिन्न तिथियों से वेतन निर्धारण के विकल्प प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस प्रकार विकल्प भिन्न-भिन्न होने के कारण वरिष्ठ एवं कनिष्ठ के मध्य वेतन असमानता उत्पन्न होती है तो संगत आदेशों में वेतन समतुल्यता प्रदान किये जाने के प्राविधान नहीं हैं।

4. कृपया सम्बन्धित मामलों में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(वी० के० शर्मा)
अपर सचिव (प्रथम)

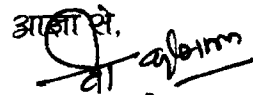
सं० 556 - का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

(क्रमशः...)

- 3- अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
- 5- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 6- समस्त निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ / केस्को, कानपुर / पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा / मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 10- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
- 11- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 12- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13- अनु सचिव (सचिवालय प्रशासन/सचिवालय प्रशासन-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 14- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 15- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पा० का० लि० / उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 16- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 17- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 18- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(वी० के० शर्मा)
अपर सचिव (प्रथम)